

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड

राजस्व आसूचना निदेशालय

अधिसूचना सं. 21/2018-सीमा शुल्क (गै.टै./सीएए/राआनि)

नई दिल्ली, 01 अक्टूबर, 2018

का.आ. (ई) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग द्वारा सीमाशुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा के अनुच्छेद 152 (ए) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. 60/2015-सीमाशुल्क (गै.टै.) संख्या सा.वै.नि. 453(ई), दिनांक 04 जून 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित एवं यथा अधिसूचना सं. 133/2015- सीमाशुल्क (गै.टै.), संख्या सा.वै.नि. 916(ई), दिनांक 30 नवम्बर 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित के द्वारा संशोधित, के अनुसरण में महानिदेशक, राजस्व आसूचना निम्नलिखित तालिका के स्तंभ (3) में उल्लेखित कारण बताओ नोटिसों के न्यायनिर्णयन के प्रयोजनार्थ उपर्युक्त तालिका के स्तंभ (2) में उल्लेखित नोटिसियों के संबंध में उपर्युक्त तालिका के स्तंभ (4) में उल्लेखित अधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग व कर्तव्यों के निर्वहन हेतु एतद द्वारा उपर्युक्त तालिका के स्तंभ (5) में उल्लेखित अधिकारियों को समान न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करते हैं

तालिका

क्र. सं.	नोटिसियों का नाम एवं पता	कारण बताओ नोटिस संख्या एवं दिनांक	न्यायनिर्णयन प्राधिकारियों के नाम	नियुक्त न्यायनिर्णयन प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	श्री उमेश वर्मा, पुत्र स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश वर्मा, निवासी A-74, डीएलएफ़ कैपिटल ग्रीन्स, मोती नगर, नजफ़गढ़ रोड, नई दिल्ली-110015 और 7 अन्य.	फा. सं. DRI/DZU/34/ Enq- 23/2017 दिनांक 11.04.2018	संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क (निवारक), कस्टम हाउस, द मॉल, अमृतसर. संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क, आईजीआई एयरपोर्ट, टर्मिनल-3, नई दिल्ली संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स (निर्यात), न्यू कस्टम हाउस, नई दिल्ली.	संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क (निवारक), कस्टम हाउस, द मॉल, अमृतसर.
2.	मै लक्ष्मी फैब्रिकस, 60/4 जीआईडीसी एस्टेट, ओधाव फायर स्टेशन के पास ओधाव, अहमदाबाद, गुजरात-382415 और 40 अन्य.	फा. सं. DRI/AZU/Int-13/ 2016 दिनांक 31.07.2018	प्रधान आयुक्त सीमाशुल्क (चेन्नई-IV), कस्टम हाउस, चेन्नई. संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क (पोर्ट), कस्टम हाउस,	अपर महानिदेशक (न्याय निर्णयन), राजस्व आसूचना निदेशालय, मुंबई.

			कोलकाता. प्रधान आयुक्त/आयुक्त केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर, सिद्धि सदन, नारायण ऊपाध्याय मार्ग, भावनगर.	
--	--	--	--	--

[फा. स. DRI/HQ-CI/50D/CAA-18/2018-CI]

(शैलेश कुमार)
अपर निदेशक

प्रतिलिपि सूचना एवं रिकॉर्ड के अद्यतन हेतु प्रेषित

1. तालिका के स्तंभ (5) में वर्णित समान न्यायनिर्णयन प्राधिकारी को मामले के न्याय निर्णयन हेतू।
2. तालिका के स्तंभ (4) में वर्णित न्यायनिर्णयन प्राधिकारी।
3. अपर महानिदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय, अहमदाबाद और दिल्ली।
4. तालिका के स्तंभ (2) वर्णित नोटिसी।